

## न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा  
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या  
मैनुअल नं. 15/प्रा.पत्र/2025  
( GCMS No. 2025 / 84 )

प्रविष्टि दिनांक  
14.07.2025

निर्णय दिनांक  
15.07.2025

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,  
शाखा नैनवां, जिला बून्दी,  
(जरिये प्राधिकृत अधिकारी)

– प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम



1. श्री रामप्रसाद धाकड़ पुत्र किशन गोपी धाकड़,  
पता-वार्ड सं. 03, दीनानाथ जी के पास, ग्राम करवर,  
तहसील नैनवां, जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थी (ऋणी / सहऋणी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण  
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित-

प्रार्थी की ओर से श्री भगवान सिंह पंवार, एडवोकेट।

आदेश

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भारतीय स्टेट बैंक, नैनवां बून्दी (राज.) में स्थित है, से अप्रार्थी ने दिनांक 16.10.2021 को कुल रूपये 10,00,000/- का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में बंधक सम्पत्ति श्री रामप्रसाद पुत्र किशनगोपी धाकड़ की सम्पत्ति मि.सं. 61, पट्टा सं. 143, ग्राम करवर, ग्रा.पं. करवर, तहसील नैनवां, जिला बून्दी (राज.) में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 2414 वर्गमीटर है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बून्दी

को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीनाप प्रार्थी सके और ऋण के भुगतान के व्यक्तिगत रूप से भुगतान नहीं कर संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 21.10.2024 को अधिकारिचिति आरिस्ट NPA (अनर्जक परिसम्पत्ति) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। अप्रार्थी के खाते में 13,32,761 / - बकाया रकम दिनांक 16.11.2024 तक शेष देय है व इससे आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिये अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 05.12.2024 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित करवाये जाने के बावजूद भी निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ऋणी / बंधककर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। इस कारण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु उक्त रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था की जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

इस संबंध में अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट है कि उक्त अधिनियम की धारा 12 में दिनांक 16.08.16 को किये गये संशोधन के अनुसार यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया जा चुका है तो ऋणी को मजिस्ट्रेट की ओर से धारा-14 के तहत प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी को धारा 13(2) के अधीन सूचना पत्र दिनांक 05.12.2024 को प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र के सलगन सम्पत्ति के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रतिभूत आरिस्ट क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आती है। इस न्यायालय को केवल दो पहलुओं पर विचार करना होता है कि क्या प्रतिभूत आरिस्ट उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आती है, और क्या धारा 13(2) के अधीन सूचना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस्तगत प्रार्थना पत्र में उक्त दोनों बिन्दुओं की पालना हो चुकी है। अतः उक्त बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये जाने हेतु पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाने बाबत आदेश जारी किया जाना उचित होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।



उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी वित्तीय संस्था भारतीय स्टेट बैंक, and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ऋणी/बंधककर्ता श्री रामप्रसाद पुत्र किशनगोपी धाकड़ निवासी करवर की सम्पत्ति मि.सं. 61, पट्टा सं. 143, ग्राम करवर, ग्रा.पं. करवर, तहसील नैनवा, जिला बून्दी (राज.) में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 2414 वर्गगज है (जिसकी चतुर्सीमाएं इस प्रकार हैं, पूर्व में- आम रास्ता, पश्चिम में- स्वयं भूमि एवं श्री कमलेश धाकड़ पुत्र नाथू धाकड़ का मकान, उत्तर में- आम रास्ता, दक्षिण में- श्री हजारीलाल का मकान), का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना इमदाद उपलब्ध करवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस इमदाद के खर्च का भुगतान संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जाकर राशि जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा करवायी जायेगी। प्रार्थी का प्राधिकृत प्रतिनिधि कब्जा लेने से पूर्व तारीख एवं समय नियत कर आदेश की सूचना अप्रार्थीगण को दें, ताकि वह अपना सामान हटा सकें। हस्तागत आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी को हस्त कायदा जारी हो। उक्त बंधक सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी तरह का विवाद होने या किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने की स्थिति में यह आदेश कियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दायित्व दपतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)  
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

